रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No D.L. 33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 1993/फाल्गुन 19, 1914
No. 143] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 1993/PHALGUNA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1993

ब्याज-कर

का. आ. 161 (अ).—केन्द्रीय सरकार, ब्याज-दर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, यह राय होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन

है, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (5क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट बैंककारी कंपनी द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, किसी निर्यातकर्ता को निर्यात उधार के रूप में दिए गए ऋण और उधारों पर 1 अप्रैल, 1993 को या उसके पश्चात् ऐसी बैंककारी कंपनी को प्रोद्भूत या उद्भूत ब्याज को ब्याज-कर के उद्ग्रहण से छूट देती है।

[सं 9241/133/40/93-टीपीएल]

डी पी सेमवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 1993

INTEREST-TAX

S.O. 161(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, being of opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby exempts interest, accruing or arising on or after the 1st day of April, 1993 to any banking company referred to in sub-clause (i) of clause (5A) of section 2 of the said Act on loan and advances made by it, having regard to the guidelines issued by Reserve Bank of India, to any exporter as export credit, from levy of interest-tax.

[No 9241/133/40/93-TPL]

D. P SEMWAL, Under Secy

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications Delhi-110054 1993